करमचट थाना कांड सं0–48/2019
सत्र विचारण निबंधन सं0–121/2021
दिनांक–13.04.2026
उपस्थितः–बलजिन्दर पाल
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, कैमूर(भभुआ)

राज्य बनाम् इश्तियाक अंसारी

फॉर्म–ए

COURT OF ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-I, KAIMUR AT BHABHUA
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, जिला कैमूर (बिहार)
उपस्थितः–बलजिन्दर पाल, अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, भभुआ जिला–कैमूर
[निर्णय तिथिः–13.04.2026]
[सत्र विचारण क्रमांक–121/2021, सी0आई0एस0 क्रमांक–121/2021]
(करमचट थाना, जिला–कैमूर के अपराध क्रमांक–48/2019 से उत्पन्न विशेष प्रकरण)

अभियोजक	बिहार राज्य द्वारा अनिता देवी(सूचिका)
अभियोजन की ओर से	श्री बिरेन्द्र कुमार सिंह, विद्वान अपर लोक अभियोजक
अभियुक्त का नाम	1. इश्तियाक अंसारी, पिता–शौकत अंसारी, निवासी ग्राम–झाली, थाना–करमचट, जिला–कैमूर।
अभियुक्त की ओर से	श्री रामेश्वर पाठक, विद्वान अधिवक्ता।

फॉर्म–बी

घटना तिथि	06.12.2019
प्राथमिकी की तिथि	06.12.2019
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	20.02.2020
आरोप गठन की तिथि	09.04.2021
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	17.05.2021
निर्णय सुरक्षित रखने की तिथि	10.04.2026
निर्णय तिथि	13.04.2026
दंडादेश की तिथि, यदि कोई हो	–

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त का क्रमांक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर मुक्त होने की तिथि	आरोपित धाराएं	दोषसिद्ध अथवा दोषमुक्त	आरोपित दंड	दंड प्रकिया संहिता की धारा–428 के उद्देश्य हेतु विचारण के दौरान कारा में बिताई गई अवधि
1.	इश्तियाक अंसारी	आत्मसमर्पन कर जमानत पर मुक्त	09.12.2019	धारा–376/511, 323, 341 भा0द0वि0	दोषमुक्त	–	–

निर्णय

1. एक मात्र अभियुक्त इश्तियाक अंसारी के विरूद्ध धारा–376/511, 323, 341 भा0द0वि0 के तहत अपराध के आरोप में विचारण किया गया।

2. सूचिका अनिता देवी इस प्रकार प्राथमिकी दर्ज कराया है कि " मैं अपने घर में एक छोटा सा किराना का दुकान की हूँ। मैं अपने दुकान में थी कि हमारे ही गॉव के इश्तियाक अंसारी दिनांक–06.12.2019 को समय शाम करीब 06:30 बजे हमारे दुकान में आया तथा बोला कि गुटका है तब मैं बोली कि मैं गुटका नहीं बेचती हूँ। जिसपर उन्होनें 100/– का नोट देते हुये बोला कि पॉच रूपया का मिक्चर एवं पॉच रूपया का बिस्कुट दे दो, जब मैं मिक्चार, बिस्कुट देकर उसका

बाकी का बचा 90/–रूपया वापस लौटा रही थी कि अचानक गलत मंशा से हमारे साथ हाथा–वाही करने लगा, खिंचा–खीची में मेरा ब्लाउज भी फाड़ दिया जब मैं शोर–गुल करने लगी तो मुझे किनारे ढकेल कर भाग गया।''

सूचिका अनिता देवी का उक्त आवेदन के आधार पर एक मात्र अभियुक्त इश्तियाक अंसारी के विरूद्ध धारा–323, 354 भा0द0वि0 के तहत प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कर अन्वेषण प्रारंभ किया गया।

अन्वेषणोपरान्त एक मात्र अभियुक्त इश्तियाक अंसारी के विरूद्ध धारा–341, 323, 376, 511 भा0द0वि0 के तहत पूरक आरोप पत्र सं0–02/2020, दिनांक–31.01.2020 को समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र के आधार पर न्यायिक दण्डाधिकारी–प्रथम द्वारा एक मात्र अभियुक्त इश्तियाक अंसारी के विरूद्ध अपराध का संज्ञान दिनांक–15.01.2021 को लिया गया तथा एक मात्र अभियुक्त इश्तियाक अंसारी के विरूद्ध धारा– 341, 323, 376, 511 भा0द0वि0 के तहत अपराध के विचारण हेतु पर्याप्त सामग्री पाए जाने पर उनके विरूद्ध अपराध के विचारण के संबंध में अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

4. एक मात्र अभियुक्त इश्तियाक अंसारी के विरूद्ध दिनांक–09.04.2021 को अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम द्वारा धारा–376/511, 323, 341 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप गठित कर उन्हें हिन्दी में पढ़कर सुनाया व समझाया गया। एक मात्र अभियुक्त इश्तियाक अंसारी द्वारा आरोपों को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया गया, जिसके परिणामस्वरूप विचारण की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

5. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात् दिनांक–03.01.2024 को एक मात्र अभियुक्त इश्तियाक अंसारी का धारा 313 दंड प्रकिया संहिता के अंतर्गत परीक्षण कर उनका कथन लेखबद्ध किया गया। एक मात्र अभियुक्त इश्तियाक अंसारी ने अभियोजन साक्ष्य को अस्वीकार कर स्वयं को निर्दोष होने का दावा किया और बचाव में किसी प्रकार का साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

6. इस प्रकार इस विचारण में न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष एक मात्र अभियुक्त दिनेश बिन्द उर्फ दिनेश कुमार के विरूद्ध आरोपित आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है ?

<u>विनिश्चय (Finding)</u>

7. इस वाद विचारण में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल तीन साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है, अभियोजन साक्षी संख्या–01 अनिता देवी (पिड़िता/सूचिका), अभि0सा0सं0–2 योगेन्द्र कुमार गुप्ता उर्फ योगेन्द्र साह, अभि0सा0सं0–3 उपेन्द्र साह का परीक्षण न्यायालय में कराया गया है।

बचाव पक्ष द्वारा इस मामले में न्यायालय के समक्ष कोई भी मौखिक या दस्तावजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

8. अभियोजन साक्षी संख्या–01, **अनिता देवी (पिड़िता/सूचिका)** ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि ''इस केस की सूचिका मैं ही हूँ। घटना तीन साल पूर्व समय लगभग 06:30 बजे शाम की है। उस समय मैं अपने दुकान पर थी। इस्तियाक दुकान पर आये और बोले कि मिर्चा दिजीये और सौ रूपया दिये और बोले कि पैसा फेरिये। दस रूपया का मिर्चा लिये थे। मिर्चा का पैसा काट कर उनको नब्बे रूपया दी। पैसा फेरने के समय वो हमसे हाथा पाई करने लगे। ब्लाउज फाड़ दिये तथा छाती को पकड़ लिये। हल्ला किये तब वो भाग गया। हल्ला करने पर गॉव के लोग जुट गये। इसके बाद थाना पर जाकर केस की। थाना पर दिया गया आवेदन को कौन लिखा इसकी जानकारी मुझे नहीं है। आवेदन को पढ़कर मुझे सुनाया गया था तब मैं

उस पर अपना हस्ताक्षर बनाई। मैं अपने हस्ताक्षर को पहचान रही हूँ, इसे प्रदर्श–1 अंकित किया गया। न्यायालय में अभियुक्त अनुपस्थित है, अभियुक्त को देखकर पहचान लूंगा।''

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि ''थाना पर दिया गया आवेदन पर क्या–क्या लिखा गया था उसका व्यक्तिगत जानकारी मुझे नहीं है। हमारे दुकान में अभियुक्त उस समय लगभग 10 फीट की दूरी पर खड़े थे। अभियुक्त हमारे दुकान के अंदर नहीं आये थे जहॉ मैं बैठी थी, वहॉ नहीं आये थे। बिस्कुट और नमकीन और नब्बे रूपया एक लड़का से भेजवाई थी और वो जाकर अभियुक्त को दे दिया था। वह लड़का छोटा था तथा उसका नाम तथा गॉव नहीं मालूम। अभियुक्त हमारे साथ खराब जुबानी/गलत शब्द का भी गलत व्यवहार नहीं किये। अभियुक्त दूर थे तथा मेरा हाथ उनसे नहीं छूआ था।''

9. अभियोजन साक्षी संख्या–02, **योगेन्द्र कुमार गुप्ता उर्फ योगेन्द्र साह** ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि ''घटना के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है।'' और अभियोजन द्वारा अभि0सा0सं0–02 को पक्षद्रोही घाषित कर दिया गया।

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि ''आज मैं नोटिस पर गवाही देने आया हूँ।''

10. अभियोजन साक्षी संख्या–03, **उपेन्द्र साह** ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि ''घ ाटना के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है।'' और अभियोजन द्वारा अभि0सा0सं0–03 को पक्षद्रोही घाषित कर दिया गया।

बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि ''आज मैं नोटिस पर गवाही देने आया हूँ।''

11. उपरोक्त तीन अभियोजन साक्षियों के अलावा इस कांड के अनुसंधानकर्ता का साक्ष्य न्यायालय में नहीं करावाया गया और दिनांक–24.11.2023 को अभियोजन के अनुरोध एवं आवेदन के आधार पर अभियोजन साक्ष्य बंद किया गया

12. अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा समर्पित किया गया कि कथित घटना छेड़खानी से संबंधित है तथा अभियुक्त सूचिका/पिड़िता के दुकान पर जाकर सूचिका कों 100/– का नोट देते हुये बोला कि पॉच रूपया का मिक्चर एवं पॉच रूपया का बिस्कुट दे दो, जब सूचिका मिक्चर, बिस्कुट देकर उसका बाकी का बचा 90/–रूपया वापस लौटा रही थी कि अभियुक्त अचानक गलत मंशा से सूचिका/पिड़िता के साथ हाथा–पाही करने लगा, खिंचा–खीची में सूचिका का ब्लाउज भी फाड़ दिया जब सूचिका शोर–गुल करने लगी तो सूचिका को किनारे ढकेल कर अभियुक्त वहॉ से भाग गया। विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा समर्पित किया गया कि बिना किसी संदेह के पर्याप्त साक्ष्य अभिलेख पर दिया गया है जो विचाराधीन अभियुक्त के विरूद्ध आरोप सिद्ध करने के लिये प्रयाप्त है और अभियुक्त को दोषकरार दिया जाये।

13. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहश के दौरान समर्पित किया गया कि यद्यपि विचाराधीन एक मात्र अभियुक्त इस्तियाक अंसारी का नाम प्राथमिकी में दर्ज है और सूचिका द्वारा माना गया कि उसने प्राथमिकी दर्ज करवायी थी लेकिन सूचिका/पिड़िता सह अभि0सा0सं0–1 ने न्यायालय में दिये बयान में प्राथमिकी में दर्ज तथ्यों का समर्थन नहीं किया है और अपने प्रतिपरीक्षण में कहा कि अभियुक्त हमारे साथ खराब जुबानी/गलत शब्द का भी गलत व्यवहार नहीं किये, अभियुक्त दूर थे तथा दुकान के अंदर नहीं आये थे। अन्य किसी भी साक्षी द्वारा अभियोजन का कथानक का किसी भी स्तर पर न्यायालय में दिये गये साक्ष्य में समर्थन नहीं किया है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा पुनः समर्पित किया गया कि अभि0सा0सं0–02 एवं 03 को न्यायालय में परीक्षण के दौरान पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया और इस प्रकार एक मात्र अभियुक्त के कथित घ

टना में भूमिका बारे कोई भी किसी प्रकार का मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है इसलिये एक मात्र अभियुक्त को इस कांड में दोषमुक्त करार दिया जाये।

14. दोनों पक्षों की बहस सुनने एवं अभिलेख पर उपलब्ध अभियोजन के मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विवेचन से अभिलेख पर मात्र यह सिद्ध हुआ कि अभियुक्त पिड़िता/सूचिका के साथ कोई हाथापाई एवं छेड़खानी वाली घटना कारित किया है क्योंकि अभि0सा0सं0–1 जो स्वयं पिड़िता/सूचिका है ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि अभियुक्त हमारे साथ खराब जुबानी/गलत शब्द का भी गलत व्यवहार नहीं किये, 10 फीट की दूरी पर खड़े थे, जहॉ वह बैठी थी, वहॉ नहीं आये थे। अभि0सा0सं0–2 एवं 3 का भी परीक्षण कराया गया जो अभियोजन का कथानक का किसी भी स्तर पर न्यायालय में दिये गये साक्ष्य में समर्थन नहीं किया है, जिन्हें अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया।

अपराधिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि संदेह चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो वह साक्ष्य का स्थान कभी नहीं ले सकता। इसी प्रकार अपराधिक विधि का यह भी सिद्धांत है कि युक्तियुक्त संदेह का लाभ सदैव अभियुक्त को जाना चाहिये।

अपराधिक विधि के उपरोक्त विधि सिद्धांतों के प्रकाश में इस सत्र प्रकरण के अभिलेख में उपलब्ध समस्त सामग्री के उपरोक्त वर्णित समीक्षा एवं विश्लेषण के आधार पर इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियोजन पक्ष एक मात्र अभियुक्त इश्तियाक अंसारी के विरूद्ध धारा–376/511, 323, 341 भा0द0वि0 के अंर्तगत आरोपित अपराध सहित किसी भी प्रकार के अपराध को प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है।

आदेश

15. परिणामस्वरूप एक मात्र अभियुक्त इश्तियाक अंसारी को साक्ष्य के अभाव में आरोपित अपराध अंतर्गत धारा–376/511, 323, 341 भा0द0वि0 के आरोपों से **दोषमुक्त** किया जाता है।

उपरोक्त वर्णित दोषमुक्त एक मात्र अभियुक्त इश्तियाक अंसारी पूर्व से जमानत पर मुक्त है एवं उनके जमानतदारों को जमानत बंध पत्र के दायित्वों से मुक्त किया जाता है। कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, कैमूर को निर्णय की प्रति को नियमानुसार प्रेषित करें और अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करवायें।

निर्णय कुल 06 पृष्ठों में है जो मेरे द्वारा लेखापित हस्ताक्षरित शुद्धित एवं खुले न्यायालय में उद्घोषित।

ह0/–
(बलजिन्दर पाल)
अपर सत्र न्या0–प्रथम,
भभुआ, जिला–कैमूर
दिनांक–13.04.2026

ह0/–
(बलजिन्दर पाल)
अपर सत्र न्या0–प्रथम,
भभुआ, जिला–कैमूर
दिनांक–13.04.2026

करमचट थाना कांड सं0–48/2019
सत्र विचारण निबंधन सं0–121/2021
दिनांक–13.04.2026
उपस्थितः–बलजिन्दर पाल
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, कैमूर(भभुआ)

राज्य बनाम् इश्तियाक अंसारी

प्रतिकर/मुऑवजा देने का आदेश–

इस प्रकरण में क्योंकि सूचिका द्वारा कांड का समर्थन नहीं किया गया एवं अभिलेख पर यह सिद्ध नहीं हुआ कि कथित घटना एक मात्र अभियुक्त इश्तियाक अंसारी के द्वारा कारित किया गया है या नहीं। और सभी साक्षियों ने अपने साक्ष्य में कथित घटना एवं प्राथमिकी में उल्लेखित तथ्यों का समर्थन नहीं किया और एक मात्र अभियुक्त इश्तियाक अंसारी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया है और अभियोजन द्वारा इस कांड में कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं दिया गया और उपरोक्त परिस्थियों में न्यायालय इस कांड में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकर/मुऑवजा देने हेतु कोई अनुशंसा नहीं करती है।

ह0/–
(बलजिन्दर पाल)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
भभुआ, जिला–कैमूर
दिनांक–13.04.2026

करमचट थाना कांड सं0–48/2019
सत्र विचारण निबंधन सं0–121/2021
दिनांक–13.04.2026
उपस्थितः–बलजिन्दर पाल
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, कैमूर(भभुआ)

राज्य बनाम् इश्तियाक अंसारी

फॉर्म–सी

अभियोजन/बचाव/न्यायालय सक्षियों की सूची

ए. अभियोजन

क्रमांक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, आरक्षी साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अभि0सा0संख्या–1	अनिता देवी	सूचिका
अभि0सा0संख्या–2	योगेन्द्र कुमार गुप्ता उर्फ योगेन्द्र साह	अन्य साक्षी
अभि0सा0संख्या–3	उपेन्द्र साह	अन्य साक्षी

बी. बचाव साक्षी, यदि कोई हो

क्रमांक	नाम	(साक्ष्य की प्रकृति) चक्षुदर्शी साक्षी, आरक्षी साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
--	--	--

सी. न्यायालय साक्षी, यदि कोई हो

क्रमांक	नाम	(साक्ष्य की प्रकृति) चक्षुदर्शी साक्षी, आरक्षी साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
--	--	--

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्शों की सूची

ए. अभियोजन

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श–1	थाना पर दिये गये लिखित आवेदन पर साक्षी के हस्ताक्षर को

बी. बचाव पक्ष

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
-	-	-

सी. न्यायालय प्रदर्श

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
-	-	-

डी. वस्तु प्रदर्श

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
-	-	-

ह0/–
(बलजिन्दर पाल)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
भभुआ, जिला–कैमूर
दिनांक–13.04.2026